E-Mail/Courier

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 9669 /ग्रा०वि० पटना, दिनांक- 11/10/07
ग्रा०वि०8(न)-95/2007

प्रेषक,

अनूप मुखर्जी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के कार्यान्वयन हेतु नवनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों को शक्ति प्रदत्त करने के संबंध में ।

महाशय,

आप अवगत है कि विभागीय पत्रांक-8680 दिनांक-17.9.07 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के कार्यान्वयन हेतु अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये गये पदाधिकारियों /कर्मचारियों के कर्त्तव्य एवं दायित्व के संबंध में स्पष्ट पत्र निर्गत किया गया है लेकिन दिनांक-27, 28.9.2007 को एस.के. मेमोरियल हॉल, पटना, में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवनियुक्त कर्मियों द्वारा योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में कुछ कठिनाईयाँ व्यक्त की गयी । इन कठिनाईयों को दूर करने हेतु कृपया निम्नांकित बिन्दुओं का पालन करावें । यह निदेश क्षेत्रिय प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद लागू होगा ।

1. जो बचत बैक खाता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के नाम पर हर प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम पर खोला गया है, उस बचत खाता में एन.आर.ई.जी.एस.बिहार के कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम पर खाता चालू करने के लिए उनके नाम एवं हस्ताक्षर को प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित करते हुये कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लेखापाल के संयुक्त नाम पर लेखा खाता को स्थानांतरित करते हुये चालू कराया जाये । इस प्रक्रिया को 12 नवम्बर 2007 तक पूर्ण करना आवश्यक है ।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण की प्रशासनिक शक्ति, उपस्थिति पंजी एवं अवकाश, आदि, की शक्तियाँ कार्यक्रम

पदाधिकारी के जिम्मे रहेगा । इस व्यवस्था को लागू करने में प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी पूर्ण सहयोग देंगे ।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गयी है । इसलिए इनलोगों से चुनाव, साहाय्य या अन्य कार्य किसी भी परिस्थिति में नहीं लिया जा सकता है। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ने स्पष्ट किया है कि इसी शर्त पर उनके वेतन का भार मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा कि उनसे मात्र रा.ग्रा.रो.गा. स्कीम का काम लिया जाए ।

4. प्रखंड के एक अनुसेवक को प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ प्रतिनियुक्त की जाय एवं उनके कार्यालय कार्य हेतु एक अंचल स्तर से चतुर्थ वर्गीय कर्मी को प्रतिनियुक्त की जाय ।

5. एन.आर.ई.जी.एस. की योजनाओं से संबंधित अभिलेखों को सरकारी नियमानुसार एक सूची बनाकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अचंलाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी के प्रशिक्षण पूरी होने के बाद एक सप्ताह के अंदर सौपना सुनिश्चित करेंगे । इस अवधि में एस.जी.आर.वाई. की आकस्मिकता निधि से जो कुर्सी, टेबुल, आलमीरा इत्यादि का क्रय किया गया हो तो उसे भी कार्यक्रम पदाधिकारी को हस्तगत करायेंगे । इस संदर्भ में उप विकास आयुक्त इसी प्रशिक्षण के समय इन सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर के सामानों का आक्कलन करते हुये अगर आवश्यक हो, तो नियमानुसार क्रय कर कार्यक्रम पदाधिकारी के कक्ष एवं कार्यालय हेतु आवश्यक उपस्कर की आपूर्ति करेंगे । इसी अवधि में ब्लॉक इन्फॉरमेटिक्स सेन्टर के लिए प्रखंड कार्यालय में ही कक्ष एवं आवश्यक उपस्कर उपलब्ध करायेंगे । इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक 28012/3/05-06 दिनांक 30.03.07 जो विभागीय पत्रांक 4628 दिनांक 25.04.07 द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों को भेजी गई है, के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित करें । प्रखंड कार्यालय में कक्ष एवं उपस्कर नहीं मिलने की स्थिति में भाड़ा पर लेकर उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे । यह दायित्व उप विकास आयुक्त का है जिसे दिनांक-7.11.2007 के अन्दर सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है । इसके अलावे कार्यालय को अच्छी तरह चलाने हेतु जो आवश्यक समझा जाय उसकी भी व्यवस्था वे सुनिशिचित करेंगे ।

6. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी स्वयं क्षेत्रीय भम्रण के लिए गाड़ी की व्यवस्था करेंगे । उन्हें सरकार द्वारा गाड़ी की व्यवस्था नहीं की जायेगी ।

7. जहां-जहां दो विभाग का कनीय अभियंता एक ही प्रखंड में काम कर रहें है वहां उप विकास आयुक्त द्वारा क्षेत्रीय एन.आर.ई.जी.ए. के कनीय अभियंता एवं एन. आर.ई.पी. के कनीय अभियंता के कार्य क्षेत्र का सीमांकन निर्धारित करेंगे ।

8. कार्यक्रम पदाधिकारी सीधे हर माह के 25 तारीख तक अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति पंजी को मुख्यालय में मंगवाकर 30/31 तारीख के अंदर एकाउंट पेयी चेक द्वारा एन.आर.ई.जी.ए. की 4 प्रतिशत आकस्मिकता निधि से वेतन देना सुनिश्चित करेंगे । इसमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सालो भर वेतन यथा संभव एन.आर.ई.जी.एस. पर प्रखंड में साल भर के अनुमानित व्यय का 2.5% तक ही हो । हर हालत में वेतन तथा अन्य प्रशासनिक मद में खर्च करने के बाद भी यह कुल स्कीम के खर्च के 4 प्रतिशत के अंदर हीं रहे । इस प्रशासनिक व्यय के अनुरूप कम से कम उतनी लागत वाली योजनाओं का क्रियान्वयन कराना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि नियमित वेतन भुगतान करने में किसी तरह की कठिनाई न हो । फिलहाल अगर मुख्यालय में निधि उपलब्ध नहीं हो तो जिस एजेंसी द्वारा खर्च नहीं किया गया है उस एजेंसी से निधि वापस लेकर उसी से सभी खर्च का वहन किया जा सकता है । साथ ही जिन क्षेत्रों में मांग कम हो तथा योजनाएँ लेने की संभावनाएँ कम हो, वहाँ कर्मियो की संख्या घटाने पर विचार किया जा सकता है ।

9. जो भी आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से मिलता है उस आवंटन को मेकेनिकली वितरण न कर उस पंचायत या उस प्रखंड या उस एजेंसी को उसके श्रम बजट तथा रोजगार की मांग एवं अन्य के अनुसार वितरित किया जाय ।

10. अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये गये पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रमाण-पत्र यथा मार्कशीट, डिग्री प्रमाण-पत्र, आदि, मूल में न रखकर उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति रखी जाय तथा मूल प्रति संबंधित पदा०/कर्मचारी को वापस लौटायी जाय ।

11. एक सौ रुपये के स्टांप पेपर पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये गये पदाधिकारियों/कर्मचारियों से एकरारनामा करा लिया जाय ।

12. जिला पदाधिकारी या उप विकास आयुक्त-सह-कार्यक्रम समन्वयक ग्रामीण विकास विभाग से जो भी दिशा-निदेश इस कार्यक्रम को चलाने हेतु दिया गया है, उसका अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

13. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत संविदा पर ~~नियुक्ति~~ नियुक्त कर्मियों का वेतन भुगतान सभी प्रमाण पत्रों के साथ उनके योगदान करने की तिथि से की जाय । योगदान स्वीकृत करने के बाद यदि उन्हें प्रखंडों में प्रतिनियुक्ति में विलम्ब से आदेश निर्गत किया गया तब स्पष्ठतः वे दोषी नहीं है एवं उस अवधि का वेतन उन्हें मिलना चाहिए ।

14. जॉब कार्ड दो प्रतियों मे ~~बनी~~ बनानी है । प्रत्येक प्रति में जॉब कार्ड धारियों का निःशुल्क फोटो लगाना है । रोजगार कार्डो तथा उसके लिए खिचवाये गये फोटोग्राफ की लागत कार्यक्रम की लागत का हिस्सा होगा ।

15. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का निम्नांकित मार्गदर्शिकाएँ प्रिन्ट कराकर सभी उप विकास आयुक्तों को दिया गया है लेकिन बहुत से उप विकास आयुक्तों द्वारा अभी तक संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, ग्रामीण रोजगार सेवक को नहीं दिया गया है । अत: उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना है कि क्षेत्रीय प्रशिक्षण में जाने के पूर्व उन संबंधित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को निम्नांकित मार्गदर्शिका निश्चित रूप से हस्तगत करा दी जाय:-

क. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का संकलन 2007,

ख. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रशासनिक एवं तकनीकी मार्गदर्शिका,

ग. क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दि.-8.10.2007 से 7.11.2007 तक की दैनन्दिनी हेतु मार्गदर्शिका,

अत: अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये तथा अक्षरश: पालन करते हुये इस योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

10/10/07

(अनूप मुखर्जी)
प्रधान सचिव